कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :../सम्ब. अनु./2022

दिनांक :. ....

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(लखनऊ, लखीमपुर–खीरी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर)

विषय : शैक्षिक सत्र 2022–23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराए जाने एवं प्रवेश लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय से सहयुक्त ऐसे महाविद्यालयों जिनमें स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अभी तक नियुक्त नहीं किये जा सके हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा।

अतः सहयुक्त महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित/कार्यरत नहीं है, में विश्वविद्यालय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों द्वारा दिनॉक 31.08.2022 तक शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में शैक्षिक सत्र 2022–23 में सन्दर्भगत पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लिया जाय तथा अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के अभाव में यदि प्रवेश लिए गए हैं, तो उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा और ऐसी स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : AF/15479–80 दिनॉक 16/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय, को सूचनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

(प्रमोद कुमार मिश्र)
सहा. कुलसचिव (सम्ब.) 2022